

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3374.12	6.32	3380.44	4058.61	12.62	4071.23	3743.59	21.10	3764.69	3955.12	25.65	3980.77
<i>वसूलियां</i>	-3.82	...	-3.82
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	3370.30	6.32	3376.62	4058.61	12.62	4071.23	3743.59	21.10	3764.69	3955.12	25.65	3980.77
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	71.18	...	71.18	89.18	...	89.18	87.20	...	87.20	97.59	...	97.59
	-0.07	...	-0.07
<i>निवल</i>	<i>71.11</i>	<i>...</i>	<i>71.11</i>	<i>89.18</i>	<i>...</i>	<i>89.18</i>	<i>87.20</i>	<i>...</i>	<i>87.20</i>	<i>97.59</i>	<i>...</i>	<i>97.59</i>
1.02 कला एवं संस्कृति	8.58	...	8.58	13.82	...	13.82	12.04	...	12.04	13.20	...	13.20
	-1.86	...	-1.86
<i>निवल</i>	<i>6.72</i>	<i>...</i>	<i>6.72</i>	<i>13.82</i>	<i>...</i>	<i>13.82</i>	<i>12.04</i>	<i>...</i>	<i>12.04</i>	<i>13.20</i>	<i>...</i>	<i>13.20</i>
1.03 सूचना एवं प्रचार	352.24	...	352.24	460.77	...	460.77	431.23	...	431.23	472.08	...	472.08
	-1.00	...	-1.00
<i>निवल</i>	<i>351.24</i>	<i>...</i>	<i>351.24</i>	<i>460.77</i>	<i>...</i>	<i>460.77</i>	<i>431.23</i>	<i>...</i>	<i>431.23</i>	<i>472.08</i>	<i>...</i>	<i>472.08</i>
<i>निवल</i>	<i>429.07</i>	<i>...</i>	<i>429.07</i>	<i>563.77</i>	<i>...</i>	<i>563.77</i>	<i>530.47</i>	<i>...</i>	<i>530.47</i>	<i>582.87</i>	<i>...</i>	<i>582.87</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	176.46	...	176.46	316.00	...	316.00	175.00	...	175.00	315.00	...	315.00
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	100.39	...	100.39	188.00	...	188.00	188.00	...	188.00	184.00	...	184.00
4. फिल्म												
4.01 विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	48.20	6.32	54.52	110.00	12.62	122.62	63.40	21.10	84.50	101.51	25.65	127.16
4.02 चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं	1.59	...	1.59
<i>जोड़- फिल्म</i>	<i>48.20</i>	<i>6.32</i>	<i>54.52</i>	<i>111.59</i>	<i>12.62</i>	<i>124.21</i>	<i>63.40</i>	<i>21.10</i>	<i>84.50</i>	<i>101.51</i>	<i>25.65</i>	<i>127.16</i>

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. ब्रांडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	122.17	122.17	...	247.02	247.02	...	180.60	180.60	...	201.39	201.39
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	1.42	1.42	4.67	4.67
जोड़	...	123.59	123.59	...	247.02	247.02	...	185.27	185.27	...	201.39	201.39

(₹ करोड़)

- 1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को कवर किया जाता है।
- 1.02. **कला एवं संस्कृति:** इसके अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से संबंधित व्यय को शामिल किया जाता है।
- 1.03. **सूचना एवं प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित मीडिया यूनिटों पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को कवर किया जाता है:- (i) लोक संपर्क और संचार ब्यूरो – इसमें कार्यकलापों अर्थात् विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, फिल्म शो, लाइव मीडिया कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के अंतर्गत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) का विलय करने से बीओसी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी योजना के अंतर्गत इसके तदनुसूची आवंटन को शामिल किया गया है। (ii) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईवी) - जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोटो प्रभाग का कार्य भारत के माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय उप राष्ट्रपति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करना है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्य प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है, इसे वित्त वर्ष 2019-20 से पत्र सूचना कार्यालय के साथ आमेलित कर दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के अंतर्गत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) योजना को समेकित करने से पीआईवी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी योजना के अंतर्गत इसके तदनुसूची आवंटन शामिल हैं। (iii) प्रकाशन प्रभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग जो अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है, के व्यय के लिए प्रावधान करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है। (iv) न्यू मीडिया विंग - इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान अनुसंधान तथा संदर्भ प्रभाग जिसे न्यू मीडिया विंग के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, जो मंत्रालय, इसके मीडिया यूनिटों, विदेशों में भारतीय दूतावासों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मीडिया हित के विषय पर मूलभूत सूचना एकत्र तथा संकलित करता है। (v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) - यह समाचारपत्रों/पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षकों का सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनके सत्यापन का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/पत्र-पत्रिकाओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के अंतर्गत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम योजना का विलय करने से आरएनआई में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी योजना के अंतर्गत इसके तदनुसूची आवंटन शामिल हैं। (vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईवीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार संगठनों की सहायता का अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। (vii) इसमें स्थापना व्यय शामिल है: (क) फिल्म प्रभाग - (जो न्यूज रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए भारतीय तथा विदेशी श्रोताओं के ग्रामीण

जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है। इसमें भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का परिचालन व्यय भी शामिल है। इसके अलावा युक्तिकरण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से फिल्म प्रभाग के अंतर्गत फिल्म प्रभाग की अवसंरचना को अपग्रेड करने के लिए किया गया व्यय शामिल है। (ख) फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) - इसे सुरुचिपूर्ण सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय पैनोरमा, फिल्म समारोह और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा युक्तिकरण के पश्चात् डीएफएफ में वित्तीय वर्ष 2020-21 से सिरीफोर्ट के प्रोजेक्शन सिस्टम, साउंड और लाइटिंग तथा संचार प्रणाली को बेहतर बनाना शामिल है। (ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) - यह बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से युक्तिकरण के पश्चात् एनएफएआई में जयकार बंगलो, एनएफएआई परिसर में एक हेरिटेज भवन तथा डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के अलावा भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की अवसंरचना को अपग्रेड करने की योजना के अंतर्गत डिजिटल पुस्तकालय के रूप में विकसित करना शामिल है। (viii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र - यह प्रावधान टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी के लिए किया गया है। युक्तिकरण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से ईएमएमसी में ईएमएमसी की सुदृष्टीकरण योजना के अंतर्गत उनके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र के संबंध में पूंजीगत व्यय शामिल है।

- 2.01. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास का प्रावधान शामिल है।
- 3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** इसमें विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार स्कीम से संबंधित व्यय शामिल है।
- 4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** इस प्रावधान में विकासपरक संचार तथा फिल्मी सामग्रियों का प्रचार-प्रसार स्कीम पर व्यय शामिल है।
- 4.02. **चैपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं:** वाणिज्य विभाग की स्कीम नामतः चैपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत संशोधित प्राक्कलन 2019-20 में शामिल एक नई स्कीम है। इस नई स्कीम को भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्रव्य-दृश्य सेवाएं भी सौंपी गई हैं।
- 5.01. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** यह भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलनों को सहायता स्कीम के व्यय को शामिल करता है। इसका उद्देश्य सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता करना है जो एक आवश्यक संचार उपकरण है, विशेषकर ऐसे समुदायों के लिए जो पढ़-लिख नहीं सकते।

- 6.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में पदस्थापित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल हैं।
- 6.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।
- 6.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।
- 6.04. **बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई):** इसमें बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।
- 6.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से (i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन, (ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना और (iii) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं।
- 6.06. **भारतीय प्रेस परिषद:** इसमें भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।